22/11/14

कलेक्टर महोदय दानकी अधिनियम 26.1 के 5, 8 की तालाबी वर्ष 2014 के पश्चात का निर्धारित किये जाने के संबंध पत्र नहीं की जा रही है। इसलिए तालाबी प्रावधानानुसार तालाब पत्र नहीं दिये से आवेदन रद्दमाल कृषिज किये जाने के संबंध दिये जाते हैं। जिला कलेक्टर शुल्क होकर तेज से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़